राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1975/2006/जयपुर
वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स हरिओम फर्नीचर्स
जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री डी. कुमार
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.01.2016

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 74/आरएसटी/अपील्स–चतुर्थ/04–05/जेपीएफ में पारित आदेश दिनांक 20.01.2006 के विरूद्ध पेश की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की फार्म का सर्वेक्षण दिनांक 12.05.2000 को किया गया साथ ही प्रत्यर्थी से सम्बन्धित एक अन्य फार्म मैसर्स सोलंकी का भी सर्वेक्षण किया गया। उक्त फर्मो के सर्वेक्षण के दौरान फार्म पर पाये गये रिकार्ड का अभिग्रहीत कर उनकी जांच पर करापवंचन किया जाना पाये जाने पर अधिनियम की धारा 29,58 एवं 65 के अन्तर्गत दिनांक 23.03.2002 को कर निर्धारण सम्पन्न किया गया। उक्त आदेश दिनांक 23.03.2002 के विरूद्ध उपायुक्त(अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर,जयपुर के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील का निस्तारण दिनांक 24..8.2002 को करके जांच के आधार पर सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु व क्रास एक्जामिनेशन का मौका दिए जाने के बाद पूर्ण जांच कर उक्त अवधि का पुनः कर निर्धारण सम्पूरित किये जाने के निर्देश देते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन–जोन–द्वितीय, जयपुर ने दिनांक 27.09.2004 को अधिनियम की धारा 34, 29, 58 एवं 65 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण सम्पन्न किया एवं करापवंचित बिकी रू. 10,58,858/–की स्वीकार की जाकर उस पर 8 प्रतिशत की दर से कर रू. 84,709/–,अधिभार रू. 12,706/–,धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रू. 8560/–, धारा 62 के अन्तर्गत शास्ति रू. 2000/–,धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,94,830/– व धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 1,14,414/– व 17,441/–आरोपित किया। उक्त

सृजित मांग से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने बिना करापवंचन प्रमाणित किये आरोपित कर रू. 84,709/–,अधिभार रू. 12,706/–, धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,94,830/– व धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 1,14,414/– को अपास्त करते हुए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति 85,560/–, अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 2000/– एवं अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित ब्याज रू. 17,441/–को यथावत रखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है,जिससे असन्तुष्ट होकर अपास्त की गई शास्तियों एवं ब्याज के विरूद्ध यह अपील कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने बोगस फर्म से माल क्रय कर करापवंचन किया है,इसलिए उस पर कर,अधिभार एवं ब्याज अदा करने का दायित्व बनता है,जिसको उसने पूर्ण नही किया गया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर,अधिभार एवं ब्याज उचित होने से अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने इस आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.2004 पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और ना ही स्थानीय डीलर्स से कोई जांच की गई है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने रेकार्ड का बिना अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है,जो विवेकाधीन आदेश नहीं है। उनका यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हीं फर्मो की जांच की गई है जो अस्तित्व में हैं और बोगस फर्मो की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने पूर्ण जांच के पश्चात कर कर रू. 84,709/–,अधिभार रू. 12,706/–, धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,94,830/– व धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 1,14,414/– का आरोपण किया है जिन्हें बिना किसी आधार के अपास्त किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त की गई राशियों की सीमा तक अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि दिनांक 12.05.2000 को सर्वेक्षण मैसर्स सोलंकी फर्नीचर्स, 645,गणगौरी बाजार, जयपुर का किया गया एवं रिकार्ड अभिग्रहीत किया गया। उनका कथन है कि मैसर्स विम प्लास्टर लिमिटेड, दमन से Mouleded furniture रू. 40,92459/–का आयात किया है,जिसका पूर्ण जमा खर्च व कर अदायगी की गयी है। उनका कथन है कि दिनांक

28.08.2000 को कारण बताओ नोटिस की पालना में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने मैसर्स प्लास्ट लिमिटेड से कुल खरीद रू. 40,92,459/–, जो एस टी 18ए से समर्थित है एवं इस माल का जमा खर्च किया गया है,जिसका सत्यापन किया गया। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने बाद सत्यापन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर रू. 84,709/–,अधिभार रू. 12,706/–, धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,94,830/– व धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 1,14,414/–को अपास्त कर, अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति 85,560/–, अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 2000/– एवं अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित ब्याज रू. 17,441/–को यथावत रखा गया है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को उचित एवं विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार अपीलार्थी फर्म के सर्वेक्षण के दौरान पाये गये रिकार्ड की जांच पर करापवंचन के सन्देह में अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत अभिग्रहहीत किया गया और अभिग्रहीत रिकार्ड की जांच के उपरान्त के अधिनियम की धारा 28, 58 एवं 65 के अन्तर्गत दिनांक 28.08.2000 को अस्थाई कर निर्धारण दिनांक 23.03.2002 को सम्पन्न किया गा। तत्पश्चात अधिनियम की धारा 29, 58 एवं 65 के अर्न्गत कर निर्धारण दिनांक 23.03.2002 को सम्पन्न किया गया,जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर उन्होंने निम्न प्रकार से निष्कर्ष देते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था :–

"आक्षेपाधित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने विक्रेता से व न ही मैसर्स डेजर्ट इन लिमिटेट व अन्य फर्मो से किसी प्रकार की कोई जांच की तथा अपीलार्थी को ट्रांसपोर्ट तथा अन्य व्यक्तियों को क्रास एक्जामिनेशन करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जयपुर के अन्य पंजीकृत व्यवसायियों की कोई जांच कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा की गई तथाकथित खरीद एवं बिक्री को प्रमाणित नहीं किया गया है तथा न ही अपीलार्थी को मैसर्स जुनेजा फर्नीचर की जी.आर. दिखाई गई तथा ट्रांसपोर्टर से क्रास एक्जामिनेशन का अवसर प्रदान नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दो वर्ष के भीतर जयपुर के पंजीकृत व्यवसाई मैसर्स शाह सोप मिल्स कप्रा.लि., मैसर्स डेजर्ट इन तथा मैसर्स एस.पी. प्लान्टेंशन से काई जांच नहीं की गई । बिना पूर्ण जांच के कर निर्धारण अधिकारी इस नतीजे पर पहुँच गये कि अपीलार्थी

द्वारा ही मैसर्स जुनेजा फर्नीचर से उचंत में माल मंगवाया गया था । अतः न्याय हित में आक्षेपाधित आदेश को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद पूर्ण जांच कर एवं क्रास एक्जामिनेशन का मौका दिये जाने के बाद उक्त अवधि का पुनः कर निर्धारण सम्पादित करें।"

अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त निर्देशों के साथ पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने दो वर्ष के भीतर भी जयपुर के पंजीकृत व्यवसाई मैसर्स शाह सोप मिल्स कप्रा.लि., मैसर्स डेजर्ट इन तथा मैसर्स एस.पी. प्लान्टेंशन से काई जांच नहीं की गई है। बिना जांच के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह मानना कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ही मैसर्स जुनेजा फर्नीचर से उचन्त माल मंगवाया गया है,उचित नहीं है। इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी ने भी यही मत प्रतिपादित किया है।

प्रकरण के तथ्यों से यह भी ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने` ना तो स्थानीय व्यवसाईयों से कोई जांच की और ना ही अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, अतः बिना जांच के कर निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे कि अपीलीर्थी व्यवहारी द्वारा माल उचन्त में विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी को चाहिए था कि वे स्थानीय व्यवसाईयों से समुचित जांच कर अपना निष्कर्ष देते तो उसको बल मिलता परन्तु उन्होंने नही किया, जिससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना होती है। इसलिए उनके निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया है,जिसमें हस्तक्षेप करने का इस पीठ के समक्ष कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

फलतः प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य